

श्री राघवेन्द्र सिंह, भा0प्र0से0, समाहर्ता, बक्सर की अध्यक्षता में दिनांक 12.07.2019 को आंतरिक संसाधन से संबंधित आयोजित बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति : यथा पंजी के अनुसार।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों के साथ विभागवार राजस्व वसूली की समीक्षा की गई, जो निम्नवत है :-

1. **निबंधन** - निबंधन विभाग का वार्षिक लक्ष्य 6600 लाख है, जिसके विरुद्ध माह तक की प्राप्ति 1468.00 लाख है, जो वार्षिक लक्ष्य का 22.24 प्रतिशत है। निबंधन विभाग के कम वसूली पर असंतोष व्यक्त किया गया। जिला अवर निबंधक, बक्सर को निदेशित किया गया कि लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रह में वृद्धि लाने के लिए निम्न विन्दुओं पर कार्य करना सुनिश्चित करें :-
  - (क) भूमि की प्रकृति बदलकर निबंधन किया जा रहा है, जिसके कारण राजस्व संग्रह में कमी आई है। ऐसे सभी मामलों को चिन्हित कर जाँच करें तथा नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें।
  - (ख) निबंधन विभाग का मांग कम है, जिसे और बढ़ाने का निदेश दिया गया।
  - (ग) निबंधन विभाग द्वारा दायर नीलाम पत्र वादों में सन्निहित राशि में वसूली प्राथमिकता के तौर पर करने का निदेश दिया गया।

बैठक में उपस्थित जिला अवर निबंधक, बक्सर द्वारा बताया गया कि नीलाम पत्र वाद से 4,00,000/- की वसूली हुई है। जिला अवर निबंधक, बक्सर द्वारा बताया गया कि अंचल अधिकारी से प्रतिवेदन मांगने पर ससमय प्राप्त नहीं होता है। जिला अवर निबंधक, बक्सर को निदेशित किया गया कि सभी निबंधित किये जाने वाले दस्तावेज में 10 प्रतिशत का क्रास भेरिफिकेशन करना सुनिश्चित करें।

[अनुपालन - जिला अवर निबंधक, बक्सर]

2. **वाणिज्यकर** - सहायक आयुक्त, वाणिज्यकर बैठक में अनुपस्थित है, जिसके कारण उनके विभाग की समीक्षा नहीं की जा सकी। वाणिज्यकर विभाग का वार्षिक लक्ष्य अप्राप्त है। अबतक की वसूली 1039.02 लाख है।

[अनुपालन - सहायक आयुक्त, वाणिज्यकर]

3. **परिवहन** - जिला परिवहन पदाधिकारी बैठक में अनुपस्थित है, जिसके कारण उनके विभाग की समीक्षा नहीं की जा सकी। परिवहन विभाग का वार्षिक लक्ष्य 2140.00 लाख है। जिसके विरुद्ध माह तक की प्राप्ति 451.23 लाख है, जो वार्षिक लक्ष्य का 21.09 प्रतिशत है।

4. **राष्ट्रीय बचत** – सहायक राष्ट्रीय बचत पदाधिकारी, बक्सर बैठक में अनुपस्थित है। उनके द्वारा राजस्व संग्रह से संबंधित प्रतिवेदन भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। उनके अनुपस्थिति के कारण उस विभाग की समीक्षा नहीं की जा सकी।

5. **सोन नहर प्रमण्डल, बक्सर** – सोन नहर प्रमण्डल, बक्सर का वार्षिक लक्ष्य 237.00 लाख है, जिसके विरुद्ध माह तक की प्राप्ति 13.31 लाख है, जो वार्षिक लक्ष्य का 5.62 प्रतिशत है। निदेशित किया गया कि वसूली में तेजी लाना सुनिश्चित करें।

[अनुपालन – सोन नहर प्रमण्डल, बक्सर]

6. **सोन नहर प्रमण्डल, आरा** – कार्यपालक अभियंता, सोन नहर प्रमण्डल, आरा बैठक में अनुपस्थित है, जिसके कारण उनके विभाग की समीक्षा नहीं की जा सकी। सोन नहर प्रमण्डल, आरा का वार्षिक लक्ष्य 8.05 लाख है, जिसके विरुद्ध माह तक की प्राप्ति 1.71 लाख है, जो वार्षिक लक्ष्य का 21.24 प्रतिशत है।

7. **खनन** – खनन विभाग का वार्षिक लक्ष्य अप्राप्त है। अबतक की वसूली 91.84 लाख है। कम वसूली पर असंतोष व्यक्त किया गया। बैठक में उपस्थित खनन निरीक्षक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में खनन का कार्य नहीं हो रहा है तथा अगले तीन माह तक बन्द रहेंगा। खनन निरीक्षक को औचक छापेमारी कर राजस्व संग्रहण में वृद्धि लाने का निदेश दिया गया।

[अनुपालन – खनन निरीक्षक]

8. **मत्स्य** – मत्स्य विभाग का वार्षिक लक्ष्य 16.90 है। जिसके विरुद्ध माह तक की प्राप्ति 0.07 लाख है, जो वार्षिक लक्ष्य का 0.41 प्रतिशत है। बैठक में उपस्थित जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 30 जून, 2019 तक जलकरों की बन्दोबस्ती प्रक्रिया चलती है। उसके पश्चात् ही राजस्व की वसूली की जाती है। जिला मत्स्य पदाधिकारी को प्रखण्डवार तालाबों के संबंध में पृच्छा की गई। उनके द्वारा बताया गया कि इस जिले में कुल तालाबों की संख्या-480 है, भौतिक रूप से 240 तालाब है, जिसकी बन्दोबस्ती की जाती है। 89 अतिक्रमित तालाब है। इस संबंध में निदेशित किया गया कि अंचल अधिकारी एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी, बक्सर तालाब का भौतिक सत्यापन कर प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे तथा जिन तालाबों को प्रकृति परिवर्तित हो गई है उसके जीर्णोद्धार का प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित करें।

[अनुपालन – जिला मत्स्य पदाधिकारी / सभी अंचल अधिकारी]

9. **वन** – वन विभाग का वार्षिक लक्ष्य अप्राप्त है। वनों के क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अबतक की वसूली 5.92 लाख रुपये हैं। वृक्षारोपण हेतु पौधों की उपलब्धता के संबंध में पूछे जाने पर वनों के

क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि स्थानीय नर्सरी में पौधा उपलब्ध है, जिसमें सिसम, सागवान, आम एवं अन्य पौधे शामिल हैं। इन पौधों में प्रति पौधा 20 रुपये की दर से मिल जायेगा। निदेशित किया गया कि वह 50,000 पौधा उपलब्ध कराये, जिसका वृक्षारोपण किया जा सके। इन पौधों को सड़क के चाट किनारे या अन्य सरकारी भवनों के आस - पास उप विकास आयुक्त, बक्सर लगवाना सुनिश्चित करें।

[अनुपालन - उप विकास आयुक्त, बक्सर / वनों के क्षेत्र पदाधिकारी]

10. **माप-तौल** - माप-तौल का वार्षिक लक्ष्य 33.00 लाख है, जिसके विरुद्ध माह तक की प्राप्ति 5.84 लाख है, जो वार्षिक लक्ष्य का 17.70 प्रतिशत है। बैठक में उपस्थित माप तौल निरीक्षक से राजस्व वृद्धि करने के संबंध में की कार्रवाई की पृच्छा की गई। उनके द्वारा बताया गया कि दुकानों की जाँच कर फाईन की राशि वसूला जाता है। उनके द्वारा बताया गया कि कुल 140 पैक्स में से 90 का सत्यापन बाकी है तथा 50 की जाँच की गई है। उन्हें खाद्य सामग्री विक्रेताओं के बाटो का सत्यापन करने का निदेश दिया गया। जिला में कुल 460 खाद्य सामग्री विक्रेता हैं, जिन्हें जाँच करने हेतु निदेशित किया गया।

[अनुपालन - माप तौल निरीक्षक]

11. **नगर परिषद, बक्सर एवं डुमराँव** - नगर परिषद, बक्सर का वार्षिक लक्ष्य 126.90 लाख है, जिसके विरुद्ध माह तक की प्राप्ति 39.42 लाख है, जो वार्षिक लक्ष्य का 31.06 प्रतिशत है। नगर परिषद, डुमराँव का वार्षिक लक्ष्य 35.80 लाख है, जिसके विरुद्ध माह तक की प्राप्ति 4.46 लाख है, जो वार्षिक लक्ष्य का 12.46 प्रतिशत है। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बक्सर एवं डुमराँव को निदेशित किया गया कि सभी बड़े बकायेदार को राशि जमा करने हेतु नोटिस निर्गत करें। व्यवसायिक संस्थानों पर विशेष नजर रखने तथा उचित टैक्स वसूलने का निदेश दिया गया।

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, डुमराँव को निदेशित किया गया कि **Landfill** हेतु भूमि चयन कर शीघ्र प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित करेगे।

जल संचय / रेन हार्वेस्टिंग के अन्तर्गत कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बक्सर एवं डुमराँव को निदेशित किया गया कि सभी बड़े दुकानदार, मौल, मैरेज हाल एवं अन्य ऐसे संरचनाओं में रेन हार्वेस्टिंग की सुविधा बनाये जाने हेतु निदेशित करें।

[अनुपालन - नगर परिषद, बक्सर एवं डुमराँव]

12. **विद्युत** - विद्युत विभाग का प्रतिवेदन अप्राप्त है। विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान राजस्व में वृद्धि हेतु नल का जल योजना में विद्युत कनेक्शन कैम्प लगाकर देने का निदेश दिया गया। निदेशित किया गया कि सभी बड़े बकायेदारों को विपत्र की राशि जमा करने हेतु लगातार पत्राचार करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बक्सर के द्वारा बताया गया कि विद्युत संशोधन नहीं होने के कारण अधिक राशि का विपत्र प्राप्त हो रहा है, जबकि पूर्व की तुलना में कम विद्युत का उपयोग किया जा रहा है। कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, बक्सर एवं कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, बक्सर को निदेशित किया गया कि इस मामले की संयुक्त रूप से 15 दिनों के अन्दर जाँच कर समस्या का समाधान कराते हुए स्थिति से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, डुमरौव के द्वारा बताया गया कि अतिक्रमित स्थलों जिनका उपयोग व्यवसायिक कार्य हेतु किया जाता है वैसे स्थलो को अतिक्रमणमुक्त कराने हेतु प्रयासरत है। वैसे स्थलों / अतिक्रमणकारियों को विद्युत विभाग द्वारा विद्युत कनेक्शन दिया जा रहा है, जिसके कारण समस्या उत्पन्न हो रही है। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, विद्युत से वस्तु स्थिति का प्रतिवेदन प्राप्त कराने का निदेश दिया।

13. **कृषि** – कृषि विभाग का प्रतिवेदन अप्राप्त है। समीक्षा के क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी को उर्वरक दुकानों की छापेमारी कराने का निदेश दिया गया।

[अनुपालन – जिला कृषि पदाधिकारी]

तत्पश्चात सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

६०१

जिला पदाधिकारी,  
बक्सर

ज्ञापांक ०३-१२७३/रा०, दिनांक २२/०७/२०१९

प्रतिलिपि : सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, बक्सर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

R. Singh  
22/07/19

जिला पदाधिकारी,  
बक्सर